

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन
पीठासीन अधिकारी-श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या- 59/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/158

प्रार्थी अप्रार्थी
रामलाल जाट, प्रवर्तन निरीक्षक बनाम श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री
(अभियोजन), जिला रसद महावीरप्रसाद निवासी जैन कॉलोनी,
कार्यालय, डीडवाना-कुचामन। बोरावड तहसील मकराना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपटित
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में
जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।


उपस्थित:-


1. श्री रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक प्रार्थी की ओर से
2. श्री मो० रफीक वकील अप्रार्थी की ओर से

—:आदेश:-

दिनांक: 11.11.2024

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध
धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से
प्रस्तुत है:-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1)
खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध गैस
के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरुपयोग के विरुद्ध अभियान के तहत दिनांक 25.09.
2024 को श्री विरेन्द्रसिंह जाखड जिला रसद अधिकारी डीडवाना-कुचामन के नेतृत्व
में श्री शिवराम खैधरी प्रवर्तन निरीक्षक व श्री ओमेन्द्रकुमार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा
बोरावड जैन कॉलोनी स्थित श्री दिनेशकुमार जैन के घर पर आकस्मिक जांच की
कार्यवाही की। मौके पर श्री दिनेशकुमार जैन के घर पर घरलू गैस सिलेण्डरों का
भण्डारण पाया गया। मौके पर श्री दिनेशकुमार जैन उपस्थित मिलें, जिन्होंने घर का
निरीक्षण करवाया। मौके पर घर में 09 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर व 02 गैस
सिलेण्डर 5 किग्रा एवं 0 रिफिलिंग मोटर मय 02 नोजल के अवैध वितरण/दुरुपयोग/भण्डारण
किया हुआ पाया गया। श्री दिनेशकुमार जैन ने  अभियानों में


जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन



बताया कि वह विभिन्न गैस एजेन्सियों से घरेलू गैस सिलेण्डर लाकर अपने घर पर रखता है जिससे उसको 50 रुपये प्रति गैस सिलेण्डर आय होती है। श्री दिनेशकुमार जैन से घरेलू गैस के भण्डारण एवं विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना अपने बयानों में स्वीकार किया। श्री दिनेशकुमार जैन द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित/दुरुपयोग किये गये 09 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर व 02 गैस सिलेण्डर 5 किग्रा मय गैस व 2 रिफिलिंग मोटर मय 02 नोजल को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसर है:-

| क्र.सं. | नाम कम्पनी | एस.आर.नं. | गैस वजन |
|---------|-----------------------------|-----------|-------------|
| 1. | इण्डेन | 878672-T | 0 |
| 2. | इण्डेन | 055872-E | 0 |
| 3. | इण्डेन | 130744-S | 0 |
| 4. | इण्डेन | 105896-T | 14.2 किग्रा |
| 5. | इण्डेन | 339246-S | 0 |
| 6. | इण्डेन | 795972-S | 0 |
| 7. | एचपीसीएल | 024200-T | 0 |
| 8. | एचपीसीएल | 332561-T | 0 |
| 9. | भारत गैस | 074528-S | 0 |
| 10. | भारत गैस | - | 0 |
| 11. | भारत गैस | - | 0 |
| 12. | दो रिफिलिंग मोटर मय 02 नोजल | | |

उपरोक्त 09 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर व 02 गैस सिलेण्डर 5 किग्रा मय गैस व 02 रिफिलिंग मोटर मय 02 नोजल मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स बोरावड इण्डेन गैस बोरावड के प्रतिनिधि श्री रूपाराम की सुपुर्दगी में दिय गये।

इस प्रकार श्री दिनेशकुमार जैन का यह कृत्य लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, - 2000 के क्लॉज 3 (c),

जिला कलेक्टर
डीडवाना-कुचामन



7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लंघन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 09 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर व 02 गैस सिलेण्डर 5 किग्रा मय गैस व 02 रिफिलिंग मोटर मय 02 नोजल को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलव किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री मो० रफीक ने वकालतनामा पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्री दिनेश कुमार जैन के घर पर कुल 09 गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा. व 02 गैस सिलेण्डर 05 किग्रा० के घरेलू गैस सिलेण्डर प्राप्त हुए। श्री दिनेश कुमार जैन के पास जांच के समय किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाए गए व श्री दिनेश कुमार ने आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं करने पर 09 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा. व 02 गैस सिलेण्डर 05 किग्रा. जब्त किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डर मैसर्स बोरावड इण्डेन गैस बोरावड के प्रतिनिधि श्री रूपाराम को प्रकरण में निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये गये। अतः प्रकरण में जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत समपहरण (Confisacation) के आदेश प्रदान करावें।

बहस के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 93 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा. व 02 सिलेण्डर 05 किग्रा. के पाए गए। जांच के समय श्री दिनेश कुमार जैन के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलू गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञाप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञाप्ति रेस्पोजेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में


जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन



09 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा0 व 02 सिलेण्डर 05 किग्रा. मय गैस का समपहरण (Confiscation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा0 व 02 सिलेण्डर 05 किग्रा. मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं 02 रिफ्लिंग मोटर मय 02 नोजल का नियमानुसार कीमतन निस्तारण के आदेश दिये जाते हैं। निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना-कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।




(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन